न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती मधुलिका सींवर, आर0ए0एस0
राजस्व प्रा0 पत्र सं0 : 10/2019 (105/2010)
GCMS NO. : 2010/00168

–:: प्रार्थीगण ::–	बनाम	–:: अप्रार्थीगण ::–
1. मदनलाल पुत्र मोहनलाल 2. मानकी पत्नी मोहनलाल जाति बावरी निवासी हुनावास कलां तहसील जैतारण।		1. बन्नाराम पुत्र हिम्मताराम के का.मु. 1/1. सोहनलाल पुत्र बन्नाराम 1/2. कालूराम पुत्र बन्नाराम 1/3. गुमानराम पुत्र बन्नाराम 1/4. मनोहरराम पुत्र बन्नाराम 1/5. गोदावरी पुत्री बन्नाराम 1/6. रातडी पुत्री बन्नाराम 1/7. गलकाई पुत्री बन्नाराम 1/8. जिमनाई पुत्री बन्नाराम 1/9. नारायणी पत्नि बन्नाराम जाति बावरी निवासी हुनावास कलां तहसील जैतारण।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजू: 20/09/2010**

उपस्थित:. 1. श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।

–:: निर्णय : **दिनॉक: 27/07/2021**

वकील मय प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा हुनावासकलां पटवार हल्का गरनिया में सायलान की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 14/10 रकबा 0–05 बीघा गैरमुमकिन बाड़ा आयी हुई है। नकल जमाबंदी सम्वत् 2065 से 2068 की पेश है। उक्त भूमि में सायलान का नाम गैर खातेदार दर्ज है परन्तु कृषि भूमि पर सायलान का अपने पिता के समय से पिछले 50 वर्षो से भी अधिक समय से कब्जा होने से सायलान को स्वतः ही कानूनन खातेदार काश्तकार हो गये है। सायलान की खातेदारी के खसरान नम्बर 14/10 रकबा 0–05 बीघा गैरमुमकिन बाड़ा के पडौस निम्न है– उत्तर–शंकरलाल का बाडा, दक्षिण–रास्ता, पूर्व– बाबूलाल बावरी का बाडा, पश्चिम–प्रतिवादी का बाडा। उपरोक्त [illegible] के बीच का बाडा का मालिकाना हक व कब्जा सायलान का है। सायलान गैरमुमकिन बाडे को प्रस्तुत नजरी नक्शे में मार्क ए,बी,सी,डी हरे रंग से बताया है। बाडे की ए,बी भुजा व बी,सी भुजा कांटों की बाड, सी से सी पक्की दीवार, [illegible] डी कांटों की बाड व डी से ए पक्की दीवार है। सायलान की इस गैरमुमकिन बाडे में सायलान का चारा, घास पडे है। गाय, भैंस, बकरी आदि मवेशी भी बांधते है तथा गायों के लिये एक काओड भी बना हुआ है तथा उक्त बाडे में खाद की उखाडी भी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2021.10.11 16:39:51 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

सायलान इस बाडे को काश्त के उपयोग आने वाले औजार उपकरण आदि भी रखता है। इस बाडे में गैरसायलान को कोई हक व अधिकार नहीं है। गैरसायलान ने सायलान की खातेदारी एवं कब्जे काश्त के बाडे पर दिनांक 14.09.2010 को शाम को करीब 5.00 बजे गये तो आगे गैरसायलान, सायलान के बाडे में सायलान के पश्चिमी तरफ व गैरसायलान के बाडे के पूर्वी तरफ नये सिं से सी स्थान के पास निकाल निकालने लगे तो सालान ने अपने बाडे में नया निकाल निकालने से मना किया, खंद व बाड को हटाने से मना किया तो गैरसायलान ने सालान को मां बहिन फायसा गालियां दी , लडाई झगडा करने पर आमादा हुए व गैरसायलान संख्या 03 कूंट लेकर सायलान के पीछे दौडी। सायलान ने अपने बाडे में नये सिरे से किसी भी सूरत में गैरसायलान को नया निकाल नहीं निकालने देंगे। गैरसायलान मात्र लाठी व धनबल के तथा गैरकानूनी रूप से नये सिं से नया निकाल सायल के बाडे में निकाल देते हैं तो सायलान को अपने जायज हक व अधिकारों से महरूम होंगे। सायलान के हितों पर विपरीत असर पडेगा व सायलान के हित प्रभावित होंगे। सायलान अपने बाडे का उपयोग उपभोग व काम में कृषि प्रयोजनार्थ हेतु ले रहे है उसका उपयोग, उपभोग नही कर सकेगा। सायलान को असीम हानि होगी जिसका मूल्यांकन किसी भी सूरत में संभव नहीं हो सकेगा इसलिए सायलान ने अस्थाई निषेधाज्ञा कां प्रार्थना पत्र विरूद्ध गैरसायलान के पेश किया है। सायलान अपने खातेदारी के बाडे को अपने पिता के समय से अर्थात् 50 वर्षो से निरन्तर रूप से बिना किसी रोक टोक के कृषि प्रयोजनार्थ हेतु काम में लेता आ रहा है। गैर सायलान के बाडे का निकाल दक्षिण में आम रास्ते की तरफ है तो फिर नये सिरे से सायल के बाडे में पूर्वी तरफ निकाल निकालने में सफल हो जाता है तो सायलान के बाडे की तरफ पूर्वी और जब नया निकाल निकालने लगे व मना किया तो झगडा फसाद करने लगे तब सायलान ने एक इस्तगासा भी शांति बनाये रखने हेतु श्रीमान् के यहां पेश किया है जो वास्ते जांच थानाधिकारी जैतारण के पास लंब्ति है। सायलान गरीब व मजदूर काश्तकार है जिसके पास गैरसायलान द्वारा किये जा रहे गैरकानूनी कृत्य को रोकने हेतु न्यायालय की शरण में आये है। सायलान के स्वयं के शपथ-पत्र मौके पर कब्जा होने से व जमाबंदी की रूह से सायल के पक्ष में प्रथम दृष्टिया मामला है। सुविधा का संतुलन भी सायलान के पक्ष में है। यदि गैरसायलान द्वारा सायलानकी खातेदारी के गैरमुमकिन न बाडे की पश्चिमी तरफ की खंदक व बाड को हटा देते हैं तथा गैरसायलान, सायलान के बाडे में पूर्वी फरफ नये सिरे से निकाल निकाल देते है तो सायलान अपने विधिक अधिकारों से [illegible] होंगे। इसका मूल्यांकन किसी भी सूरत में रूपयों में नहीं [illegible] प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र के मद सं. 01 में दर्ज कृषि भूमि खसरान नम्बर 14/10 रकबा 0-05 [illegible] बाड़ा जिसे नजरी नक्शे में मार्क ए,बी,सी,डी हरे रंग से दर्शाया है जिसका कृषि प्रयोजन हेतु सायलान उपयोग करें तो उसमें गैरसायलान, उनके वारिसान आदि दखलंदाजी नहीं करें तथा नक्शे में बताये सी स्थान पर नये सिरे से गैरसायलान पूर्वी दिशा में गैरसायलान के

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2021.10.11 16:39:51 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

पश्चिमी दिशा में कोई निकाल, रास्ता नहीं निकालें न ही खंद व बाडा हटावें जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा रोका जावें।

इस पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गैरसायल को जरिये नोटिस के तलब किये गये। गैरसायल 01 व 03 को बार बार आवाजें दिलाई गई, बावजूद सम्मन सूचना तामिल के अनु0 रहने से इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। गैरसायलन संख्या 02 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश हुआ जो सा0मि0 है। गैरसायलान ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 01 का जवाब है कि सायलान गैरखातेदार कृषि भूमि खसरा नम्बर 14/10 मे 0.5 बिस्वा गै.मु. बाड़ा अवश्य आया हुआ है व गैरसायलान का रहवासी मकान व प्लोट भी अवश्य आया हुआ है सायलान् प्रार्थनापत्र के साथ जो नक्शा बनाकर पेश किया है वह गलत रूप से नक्शा बनाकर पेश किया गया जबकि सायलान ने मौके पर कमिश्नर नियुक्त करवाकर उक्त विवादित मौके की रिपोर्ट मंगवाई गई है उससे भी साफ जाहिर होता है कि सायलान ने जानबुझकर प्रार्थनापत्र में सफल होने की नियत से सायलान ने प्रार्थनापत्र के साथ गलत रूप से विवादित स्थल का नक्शा पेश किया है जो गैरसायलान को नामंजूर है। पेरा संख्या 02 का जबाब है कि सायलान् का कब्जा सुद बाडा अवश्य आया हुआ है दिनांक 29.09.2010 को मौका कमिश्नर पटवारी हल्का गरनिया ने श्रीमान् के समक्ष रिपोर्ट मय नक्शा के प्रस्तुत की है जिसमे सायलान् का विवादित ए से बी व बी एच से सी तथा सी से एच व एच से ए कब्जा सुद प्लोट बताया है व गैरसायलान् का निकाल एच से एफ व बाबुराम पुत्र आईदान का रास्ता सी से ई बताया गया है जो कि उक्त सेटलमेन्ट से पूर्व से लेकर आज दिन तक उक्त रास्त को अपने भू भाग मे आने जाने हेतु उपयोग उपभोग में लगातार आज दिन तक लेते आ रहे है कमिश्नर रिपोर्ट में मार्क एच से एफ व सी से ई मार्क के बीच भूमि आम रास्ता की भूमि है व गैरसायलान् उक्त रास्ते की भूमि को वक्त सैटलमेन्ट से पूर्व से लेकर आज दिन तक काम मे लेते आ रहे है सायलान् आम रास्ते की भूमि पर कब्जा करने की नियत से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है। व सायलान ने उक्त विवादित भू भाग श्री सीताराम बावरी को बेचान कर दिया है। पेरा संख्या 03 में दर्शाये गये सारे कथन अस्वीकार है सायलान् ने पेरा संख्या तीन मे यह गलत कथन किये है विवादित भू भाग के पश्चिम की तरफ व गैरसायलान् के पूर्व की तरफ नये सिरे से कोई नया रास्ता आज दिन तक नही निकाला गया उक्त विवादित रास्ता वक्त सैटलमेन्ट से पूर्व ही उक्त रासता मौजूद था गैरसायलान् स्वयं व उनके [illegible] उक्त विवादित रास्ते को अपने कब्जा सुदा भूमि मे आने–जाने हेतु उपयोग–उपभोग आज दिन तक लेते आ रहे है न ही उक्त रास्ता विवादित खसरा नम्बर कृषि भूमि का है सायलान् व गैरसायलान् के बीच लम्बे समय से सामाजिक बात को लेकर दुश्मनी है इसी दुश्मनी के चलते सायलान् ने गैरसायलान् सुकड़ी पुत्री बनाराम की हत्या की है इनके विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 302 मे एस सी एस टी कोर्ट पाली मे ट्रायल चल रही है व इसके पूर्व कई फौजदारी प्रकरण प्रतिवादीगण ने दर्ज करवाये है

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2021.10.11 16:39:51 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

गैरसायलान् उक्त विवादित रास्ते को वक्त सेटलमेन्ट से पूर्व से लेकर आज दिन तक शांतिपूर्वक उपयोग व उपभोग लेते आ रहे है व उक्त रास्ते को लेकर आज दिन तक सायलान् व गैरसायलान् मे कभी भी मतभेद नही रहा है और ना ही लडाई झगडे हुऐ है सायलान् को उक्त प्रार्थना पत्र लाने का कानूनी अधिकार नही है क्योकि उक्त रास्ता विवादित खसरा संख्या 14/10 की कृषिभूमि मे स्थित नही है व आम रास्ता है गैरसायलान् अपने बाडे मे आने-जाने हेतु व अपने साधन आने-जाने हेतु अपने बाडे मे प्रवेश हेतु उक्त रास्ता को शांतिपूर्वक उपयोग-उपभोग मे लेते आ रहे है अगर विवादित रास्ताबन्द कर दिया जाता है तो गैरसायलान को काफी असीम क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी रूप मे संभव नहीं होगी जो ना ही रूपयो मे आंकी जा सकती है गैरसायलान कब्जा सुदा भू भाग मे आने जाने हेतु एक मात्र आम रास्ता यही है गैरसायलान् निरन्तर उक्त रास्ते का उपयोग-उपभोग वक्त सैटलमेन्ट से पूर्व से लेकर आज दिन तक शांतिपूर्वक अपने भू भाग मे आने जाने हेतु निरन्तर लेता आ रहा है जो एज ऑफ राईट सुखाराधिकार की गैरसायलान को प्राप्त है। पेरा संख्या 04 का जबाब है कि सायलान का पैरा संख्या 04 सम्पूर्ण गैरसायलान् को अस्वीकार है । सायलान् का विवादित खसरा नम्बर की कृषि भूमि पर काबिज है व रास्ते की भूमि पर कब्जा करने की नियत से उक्त प्रार्थनापत्र पेश किया है जबकि उक्त विवादित रास्ता वक्त सेटलमेन्ट से से पूर्व से लेकर आज दिन तक काबिज है जिसे गैरसायलान् शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग मे लेते आ रहे है सायलान् गैरसायलान् को हैरान परेशान करने की गरज से उक्त प्रार्थनापत्र झुठे तथ्यो के आधार पर पेश किया है जबकि उक्त विवादित रास्ता वक्त सैटलमेन्ट से पूर्व ही मौके पर मौजूद है व गैरसायलान् उक्त रास्ते को अपने स्वयं के लिये आने जान व अपने साधन लाने ले जाने हेतु काम मे लेते आ रहे है। तथ्यो, परिस्थितियो एवं मौके पर वक्त सैटलमेन्ट से पूर्व से आज दिन तक विवादित रास्ते पर गैरसायलान् उपयोग उपभोग व काम मे लेने से प्रथम दृष्टिया मामला व सुविधा का सन्तुलन भी हर दृष्टिकोण से सायलान् की बजाय गैरसायलान के पक्ष मे सावित है यदि सायलान् द्वारा गलत व झुठे तथ्यो का समावेश कर प्रस्तुत किये गये प्रार्थनापत्र पर श्रीमान् न्यायालय द्वारा किसी प्रकार से गैरसायलान् के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो अपूर्णिय क्षति भी सायलान की अपेक्षा गैरसायलान् को होना सुनिश्चित है एवं गैरसायलान् सेटलमेन्ट से पूर्व के आम रास्ते के अधिकारो से हमेशा हमेशा के लिये वंचित हो जायेगा एवं रास्ते के जायज हक हकूको से महरूम हो जायेगा इसलिए सायलान द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थनापत्र मय खर्चा हर्जा खारिज फरमावें। अतः जबाब प्रार्थनापत्र मय [illegible] व [illegible] पेश कर अनुरोध है कि सायलान् द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र किसी दृष्टिकोण से मानने योग्य नही होने से मय खर्चा हर्जा खारिज फरमावें ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2021.10.11 16:39:51 IST
Reason: SelfAttested

बहस वकुलाय राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावाली पर उपलब्ध दस्तावेजात

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

के अवलोकन व विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिंदूवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार है:-

1. **प्रथम दृष्टया मामला:-** प्रार्थी के वाद-पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त ख.नं. 14/10 रकबा 0.05 बीघा गै.मु. बाडा धारा 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत स्थाई निषेधाज्ञा का वाद दर्ज करवाते हुए दौराने विचारण अस्थाई निषेधाज्ञा का निवेदन किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा एवं फर्द मौका कमिश्नर रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि नजरी नक्शे में वादग्रस्त खसरें को सडक से लगता हुए दर्शाया है जबकि मौका कमिश्नर रिपोर्ट में वादग्रस्त खसरा व राजादण्ड की तरफ जाते हुए सडक के बीच खाली जगह एवं अन्य रास्ता होना दर्शाया है। अतः उक्त दोनों दस्तावेज में अन्तर प्रतीत होता है। अप्रार्थी ने भी अपने जबाब प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शे को गलत रूप से विवादित स्थल का नक्शा पेश करना एवं गैरसायलान को नामंजूर होने का कथन किया है, जिसका प्रार्थी द्वारा खंडन भी नहीं किया गया है। अतः मूल प्रकरण के संबध में गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना हमारा यह विभ्रम अभिमत है कि प्रथम तो प्रार्थी वादग्रस्त आराजी में गैर-खातेदार है जो प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत् 2065 से 2068 के अवलोकन से स्पष्ट है। द्वितीय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा व मौका कमिश्नर रिपोर्ट में वादग्रस्त खसरे की स्थिति में अन्तर होने से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रार्थी न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से नहीं आए हैं। तृतीय प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई विश्वसनीय तथ्य व दस्तावेजात प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह साबित होता हो कि अप्रार्थी वादग्रस्त खसरा नम्बर 14/10 में दखलन्दाजी कर रहे हो बल्कि अप्रार्थी ने विवाद का मुख्य बिन्दु रास्ते के सम्बन्ध में होने का कथन किया है। एवं यह कथन भी किया है कि विवादग्रस्त भूमि वादग्रस्त खसरे में न होकर आम रास्ता है, जिस पर सायलान कब्जा करना चाहते है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला साबित नहीं होता है।

2. **सुविधा का संतुलनः-** चुंकि प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध नहीं हुआ है तथा प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई विश्वसनीय तथ्य एवं दस्तावेजात प्रस्तुत नहीं किये गये है जिससे यह साबित हो कि सुविधा का संतुलन अप्रार्थी के पक्ष में न होकर प्रार्थी के पक्ष में है। अतः यह बिन्दु भी साबित नहीं होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika
Date: 2021.10.11 16:39:51 IST
Reason: SelfAttested

3. **अपूरणीय क्षतिः-** प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के विरूद्ध साबित हुए है, साथ ही प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई सारवेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह साबित हो कि प्रार्थी के पक्ष में यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो किस प्रकार से अपूरणीय क्षति होनें की आशंका है। अतः यह बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता है।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

उपर्युक्त बिन्दूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि हस्तगत प्रकरण प्रार्थी/वादी के पक्ष में बखूबी साबित नहीं होने से अस्वीकार किया जाना विधिसंगत होगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी/वादी धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित नहीं होने तथा सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली इसी माफिक निर्णीत होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,
जैतारण जिला–पाली(राज.)

निर्णय आज दिनांक 27/07/2021 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,
जैतारण जिला–पाली(राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2021.10.11 16:39:51 IST
Reason: SelfAttested